राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 69 / 2017 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–दशम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बायर क्रोपसाईरा लिगिटेड,
जवाहर नगर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 26 / 10 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 154 / अपील्स–I / आरवीएटी / 2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–दशम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शारित रूपये 2,73,800 / – का आरोपण किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 का लाभ नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2016 से स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण बिना किसी नोटिस के आरोपण किया गया है। उन्होनें अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुये विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2009—10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.2012 को पारित किया गया जिसमें विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा कराने से ब्याज आरोपित किया गया था। दिनांक 15.09.2011 को राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.12(92)एफडी / टैक्स / 2011—46 से दिनांक 30.09.2011 तक समस्त देयकर एवं विवरण पत्र प्रस्तुत कर देने की स्थिति विलम्ब शुल्क एवं ब्याज को माफ कर दिया गया था। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को समस्त Due Tax एवं विवरण पत्र दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत होने के तथ्यों के अधीन उक्त अधिसूचना का लाभ देते हुये अपीलीय अधिकारी ने आरोपित ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। वैट अधिनियम के तहत पारित आदेश में समस्त कर एवं विवरण पत्र दिनांक 30.09.2011 के पूर्व जमा होने से उक्त अधिसूचना के अनुसार शास्ति एवं ब्याज होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर केवल अधिसूचना का विधिसम्मत लाभ दिया गया है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है व राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य